तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अगलाया हुक्म की में जा
24/02/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने प्रा.पत्र बाबत् विड्रो किये जाने वाद-पत्र एवं दिये जाने अनुमति प्रस्तुत करने नवीन वाद-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी वादपत्र मे संहवन से अब्दुल हमीद के वारिसान अब्दुल वहीद एवं अब्दुल सलाम को नामौलाद होने के तथा अंकित हो गये हैं। जबकि अब्दुल वहीद एवं अब्दुल सलाम के वारिसान प्रतिवादीगण के रूप मे पक्षकार बनाये गये हैं तथा उनका हिस्सा नही बताया गया है। उक्त अंकन वादपत्र मे होना सहवन से रह गया है। उबेदूर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान व जमीला बी पुत्री अब्दुल रहमान, जो फौत हो चुके हैं, उनके वारिसान का भी सफरे मे अंकन किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। वादीगण ने उक्त वाद उद्घोषणा, दुरस्ती इन्द्राज का पेश किया है जबकि वादीगण, प्रतिवादीगण से अपनी भूमि का तलस्मा भी करवाना चाहते हैं। उक्त समस्त त्रुटियाँ वादपत्र मे संहवन से अंकित हो गई हैं। अतः वादीगण के उक्त वाद को विड्रो कर नवीन वादपत्र वादीगण को पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। न्यायालय ने वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त त्रुटियाँ संहवन से होना प्रतित होती हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र बाबत् विड्रो किये जाने वादपत्र एवं दिये जाने अनुमति प्रस्तुत नवीन वादपत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली नियमानुसार नम्बर से कम होकर दाखिल हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	